न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 223/2019

शांति देवी व अन्य बनाम विजय प्रकाश व अन्य

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम, जिला जयपुर वाद संख्या 31/2001 उनवानी विजय प्रकाश व अन्य बनाम नेम व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रथम, जिला जयपुर के वाद संख्या 31/2001 बउनवानी विजय प्रकाश व अन्य बनाम नेम व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 14.06.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है जिसमें प्रार्थी/अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान के तहत् पारित की गई आज्ञा है जिसमें न तो वादी और ना ही अन्य प्रतिवादीगण को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है। लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान का मुख्य उद्देश्य उभयपक्षों के मध्य आपसी समझाईश व सहमति के आधार पर प्रकरणों का अंतिम निस्तारण करना है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी किसी भी प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। निर्णय जैर अपील की प्रथम बार जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 15.05.2019 को न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विजय प्रकाश के अधिवक्ता द्वारा कुरैजात रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से हुई है और निर्णय व प्रारंभिक डिक्री की वास्तविक जानकारी दिनांक 27.05.2019 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि को पढने से हुई इससे पूर्व प्रार्थीगण को उक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 न्याय आपके द्वार अभियान में पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री है जिसकी सूचना न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार को जरिये नोटिस नहीं दी गयी थी ऐसी दशा में भी प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब उपरोक्त कारणोंवश हुआ है जो कि परिस्थितिजन्य कारण है जिसमें प्रार्थीगण की अन्यथा कोई लापरवाही नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निर्णय किया जावे।

2. वकील पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर सुनी गई। वकील प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्यतः यह कथन किये कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 15.05.2019 को न्यायालय में वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विजय प्रकाश के अधिवक्ता द्वारा कुरैजात रिपोर्ट पर आपत्ति करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से हुई है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 न्याय आपके द्वार अभियान में पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री है जिसकी सूचना न्यायालय द्वारा किसी भी पक्षकार को जरिये नोटिस नहीं दी गयी थी ऐसी दशा में प्रार्थीगण को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

Scanned with CamScanner

हो सकी थी। अपील प्रस्तुति में देरी उक्त कारणवश हुई है न कि प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर कारित की गई है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुति में हुई देरी कंडोन की जावे। वकील प्रार्थी/अपीलार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2000 आर.आर.डी. पेज 843, 2002 ए.आई.आर पेज 1201 (एस.सी.), 1965 आर.आर.डी. पेज 119, 1990 आर.आर.डी. पेज 477, 534, 644, 1989 आर.आर.डी. पेज 820 प्रस्तुत किये। वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने वकील प्रार्थी/अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि जब सभी पक्षकारों के समक्ष दिनांक 14.06.2018 की तारीख पेशी न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट हाथोद के समक्ष नियत की गई और उसके पश्चात् भी न्यायालय के समक्ष दावे में सभी पक्षकारों के समक्ष नियमित कार्यवाही की गई तब पृथक से अपीलार्थीगण को सूचना दिये जाने का किसी भी प्रकार का कोई आधार व औचित्य नहीं था। अपीलार्थीगण को प्रकरण की संपूर्ण जानकारी थी बावजूद इसके अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रारंभिक निर्णय एवं डिक्री पारित करने की प्रक्रिया पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने झूठे तथ्यों पर आधारित अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की गई है। कानूनन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री दिनांक 14.06.2018 की माननीय न्यायालय में अपील पेश करने की मियाद 60 दिन नियत है। उक्त अपील करीब एक साल बाद जानकारी के बावजूद पेश की गई है जो मियाद बाहर होने के कारण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील देरी से प्रस्तुत होने से अपील खारिज फरमाई जावे। वकील अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर. आर.टी 2011 (2) पेज 1198, आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 851, आर.आर. डी. 2002 पेज 20 पेश किये।

3. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात के बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वर्ष 2001 में प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलान्ट बाद तामील अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष मय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता द्वारा वाद की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे है। यहां यह विवेचन करना उचित होगा कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद वर्ष 2001 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात के विभाजन के बाबत वादी द्वारा एक अन्य वाद बाबत विभाजन वर्ष 2003 में सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी एवं वादी के परिवारजनों के मध्य संयुक्त आय से क्रय की गई अनेक सम्पत्तियों के विभाजन का मामला था जबकि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद विवादग्रस्त आराजीयात के संयुक्त कृषि जोत के विभाजन हेतु था जिनमें सिविल न्यायालय के पक्षकारों के अतिरिक्त विवादग्रस्त आराजीयात के 1/2 हिस्से के सह खातेदारान का भी हक हिस्सा सम्मिलित था। सिविल न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के सह खातेदारान बतौर पक्षकार के रूप में कायम नहीं थे इसलिये विवादग्रस्त आराजीयात के वादी व उनके परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सहखातेदारान के विभाजन की अनुतोष की सुनवाई का एकमात्र क्षेत्राधिकार विवादग्रस्त आराजीयात कृषि जोत होने से राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है इसलिये सिविल न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत वाद के आधार पर जहां अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी एवं भूमि के अन्य रिकॉर्डेड सहखातेदारान के हक अधिकारों से कभी इंकार एवं आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह तथ्य तो स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट/वादी व विवादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारान को प्रदत्त हक अधिकारों से सहमत है, अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही को स्थगित एवं भूमि के अन्य सहखातेदारान के हक अधिकारों को महरूम किया जाना कतई उचित नहीं पाया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं प्रकरण अत्यधिक पुराना एवं भूमि के अन्य सहखातेदारान की असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार राजस्व मंडल के नियम बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिनांक 14.06.2018 को गुणावगुण के आधार पर प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की गई है जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 04.06.2019 को अपील प्रस्तुत की गई।

4. अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपील की मद संख्या 3 में वर्णित किया है कि दिनांक 15.05.2019 से पूर्व पत्रावली पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री जारी करने के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही है केवल मात्र मोहर लगाकर तारीख पेशीयां नियत की जा रही है इस कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी, अपीलान्ट/प्रार्थी की अपील एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कथनानुसार निर्णय दिनांक 14.06.2018 के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय की तारीख पेशियों एवं ऑर्डरशीट में वर्णित तथ्यों की जानकारी से प्रार्थी/अपीलान्ट को अनभिज्ञ होना नहीं माना जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की ऑर्डरशीट दिनांक 30.01.2019 में स्पष्टतया अंकित है कि पत्रावली वास्ते बहस कुरैजात दिनांक 13.02.2019 को प्रस्तुत हो। विभाजन के वाद में कुरैजात प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के पश्चात् की प्रक्रिया है। इस प्रकार अपीलान्ट के अपील की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्यों को मान भी लिया जावे तो भी अपीलान्ट को भी ऑर्डरशीट दिनांक 30.01.2019 में वर्णित तथ्यों से प्राथमिक निर्णय डिक्री की जानकारी होना पाया जाता है तब भी प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा दिनांक 30.01.2019 के भी लगभग 5 माह बाद अपील प्रस्तुत की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्राथमिक डिक्री के पश्चात् लगभग 20–22 पेशियां दी गई है जिसमें ऑर्डरशीट दिनांक, 30.01.2019 के अतिरिक्त दिनांक 18.03.2019 को पत्रावली वास्ते कुरैजात बहस एवं उचित आदेश के तथ्य वर्णित है। उपरोक्त तथ्यों से पूर्णतया साबित है कि प्रार्थी/अपीलान्ट प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम में वर्णित कारण उचित कारण नहीं है। न्यायालय की कार्यवाही, आदेश इत्यादि की जानकारी रखने का कर्त्तव्य स्वयं पक्षकार का होता है। वर्तमान प्रकरण में अपीलान्ट एवं उसके अधिवक्ता सक्रिय रूप से भाग लेते रहे है अतः इसे वह देरी का आधार बनाकर देरी को माफ नहीं करवा सकता है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अपील परिसीमा 60 दिवस के पश्चात् अपील प्रस्तुत की है, उक्त देरी बाबत अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कारण अपील प्रस्तुति में हुई देरी बाबत किसी भी दृष्टि से संतोषप्रद एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी द्वारा उदासीन रहते हुये मियाद पश्चात् अपील प्रस्तुत की है जो घोर लापरवाही का प्रतीक है। उक्त देरी क्षम्य योग्य नहीं है। इस कारण प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य पाया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

5. अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम जयपुर द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.06.2018 यथावत रखा जाता है। उभयपक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15.04.2020 को उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner